दिवाला एवं शोधन अक्षमता कोड, 2016 :
दिवाला समाधान
(एक सरलीकृत गाइड)

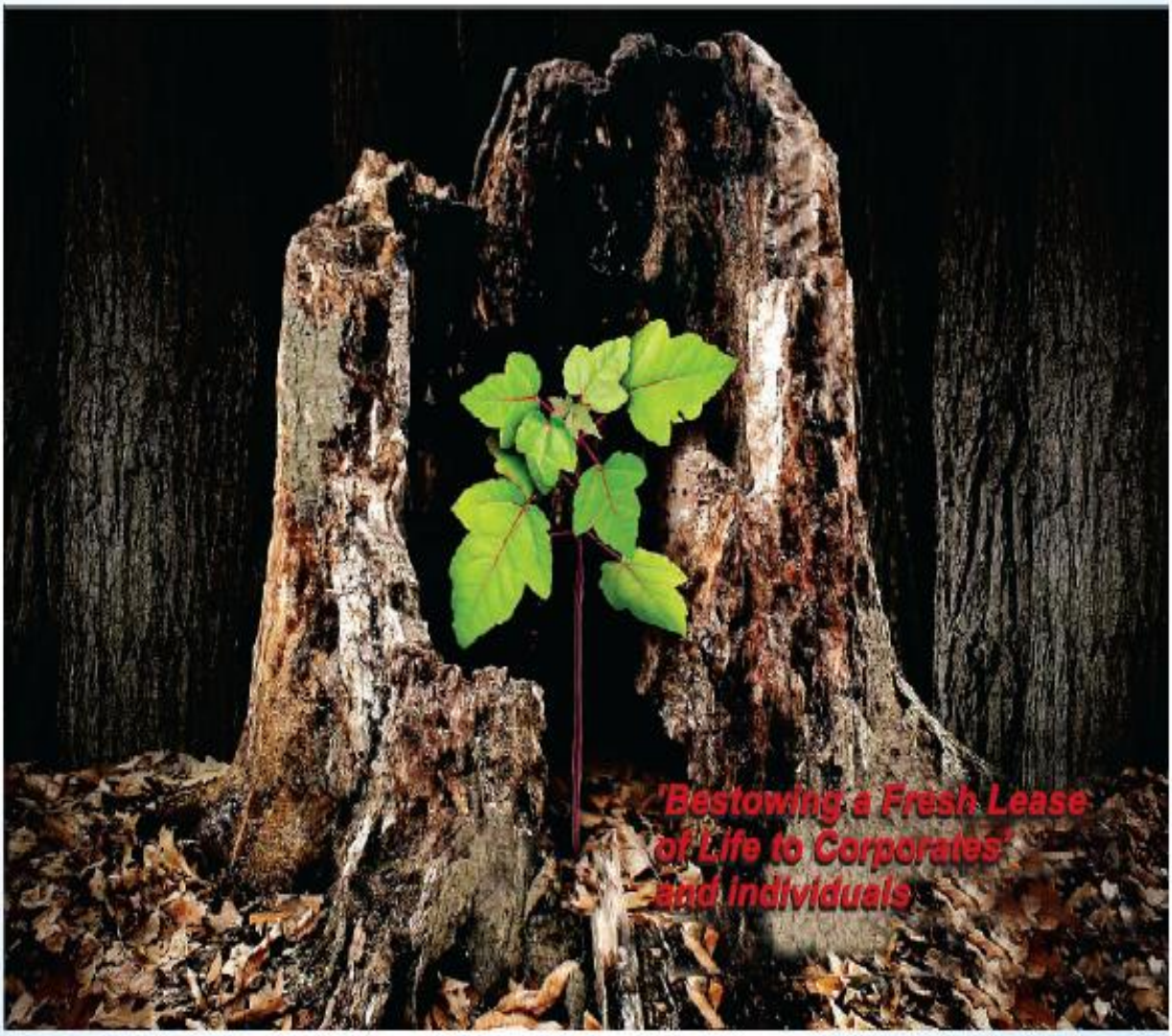

ICSI दिवाला व्यावसायिक एजेंसी
(आईसीएसआई के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी तथा आईबीबीआई के साथ पंजीकृत)

प्रस्तावना

देवात्कार्या–सिद्धयर्थनम सभास्तम्भः समुदभावम,
श्री नरसिम्हम महावीरम नमामि रुनामुक्तये!!

रुना विमोचना नरसिम्हा स्त्रोत की उक्त पंक्तियां एक प्रार्थना हैं जो भगवान नरसिम्हा सुभाषिताम को समर्पित की गई हैं तथा इनका अनुवाद इस प्रकार है : दिव्य मिशन प्राप्त करने के लिए, वे जो कोर्ट हॉल (राक्षस के) में एक खंभे से प्रकट हुए थे, ऐसे महान वीर भगवान नरसिम्हा को, मैं अपने ऋणों की समाप्ति के लिए प्रार्थना करता हूं।

यह कथन मुझे आरम्भ किए गए नए दिवाला और शोधन अक्षमता कोड, 2016 (''कोड'') की प्रस्तावना से जोड़ता है, जो इस प्रकार लिखा गया है :

''निगमित व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों तथा व्यक्तियों के पुनर्गठन तथा दिवाला संकल्प से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने, जो ऐसे व्यक्तियों की संपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने के लिए समयबद्ध तरीके से, उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए, सभी स्टेकधारकों की जमाओं की उपलब्धता और उनके हितों को संतुलित रखने के लिए एक कानून.....''

कोड का प्रथमतया उद्देश्य वित्तीय तौर पर पीड़ित तथा ऋण में डूबी हई निगमित तथा गैर–निगमित इकाइयों का समाधान करना तथा पुनर्जीवन करना है। ऋणों की भुगतान सूची पुनः बन जाने के बाद, ऋणी अपने ऋण के पुनर्भुगतान के बोझ से मुक्ति पा जाएगा तथा अपनी मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है।

कोड, जो समाज में बहुत बड़ा आर्थिक कायाकल्प लाने के लिए है, माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के **संकल्प से सिद्धि** की पहल को प्रोत्साहन देने में निश्चित ही मदद करेगा। कोड ने निगमों, एलएलपी, साझेदारी फर्मों तथा व्यक्तियों के दिवाला से संबंधित समस्त मौजूदा कानूनों को समेकित करने की व्यवस्था को एक स्थान पर कर दिया है। कोड की योजना पूर्ववर्ती कानूनों से बिलकुल अलग है जो ''ऋणी कब्जे में'' पर केंद्रित थी जबकि कोड ''ऋणदाता कब्जे में'' संकल्पना पर केंद्रित है।

आम व्यक्ति को कोड की बेहतर समझ और स्पष्टता सुनिश्चित करने के प्रयोजन से, आईसीएसआई दिवाला और शोधन अक्षमता एजेंसी (आईसीएसआई आईपीए) ने एक पुस्तिका प्रकाशित की है जिसका शीर्षक है – ''दिवाला और बैंक शोधन अक्षमता कोड, 2016 दिवाला समाधान (एक सरलीकृत गाइड)''। यह गाइड आईसीएसआई आईपीए की ओर से स्टेकधारकों, अर्थात निगमों, फर्मों, व्यक्तियों, ऋणदाताओं, ऋणियों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों, जमाधारकों, मकान क्रेताओं, छोटे व्यवसायियों, कर्मचारियों तथा अन्य स्टेकधारकों को कोड के विधायी ढांचे के बारे में तथा इस नए कानून से वे जो लाभ प्राप्त कर सकते हैं, के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए एक ईमानदार प्रयास है।

मुझे विश्वास है कि सरल भाषा में तैयार की गई यह गाइड आप सभी को कोड के बारे में आसान समझ सुनिश्चित कराएगी।

सीएस (डॉ.) श्याम अग्रवाल
अध्यक्ष,
भारतीय कंपनी सचिव संस्थान

सीईओ का संदेश

आईसीएसआई दिवाला और शोधन अक्षमता एजेंसी की ''दिवाला और बैंक शोधन अक्षमता कोड, 2016 दिवाला समाधान (एक सरल गाइड)'' शीर्षक पुस्तिका ऐसे समय पर आई है जब ट्राइब्यूनलों, अपीलीय ट्राइब्यूनलों, उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय की विभिन्न न्यायिक घोषणाओं के माध्यम से शोधन अक्षमता कानून विकसित हो रहा है। कोड प्रत्येक कंपनी, फर्म तथा व्यक्ति को अपने ऋण की समस्या समयबद्ध तरीके से सुलझाने का अवसर प्रदान करता है।

यह पुस्तक कोड के बारे में स्टेकधारकों को अवगत कराने के लिए तैयार करती हे जिसमें निम्नलिखित पहलुओं को शामिल किया गया है :

- आम व्यक्ति के लिए कोड का महत्व तथा इससे प्राप्त किए जा सकने वाले लाभ।
- कोड का वृहत्तर फ्रेमवर्क कोड के अंतर्गत उपलब्ध निकास तंत्र के साथ–साथ दिवाला संकल्प की विभिन्न प्रक्रियाओं का सम्पूर्ण दृष्य प्रदान करता है।
- कोड के अंतर्गत संस्थागत तंत्र स्टेकधारकों को निर्णय लेने वाले प्राधिकारी, भारतीय दिवाला और बैंक शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों, दिवाला व्यावसायिकों तथा कोड के अंतर्गत सूचना की उपयोगिता की भूमिका के बारे में समझने में मदद करता है।
- कोड के अंतर्गत कार्पोरेटों तथा व्यक्तियों के लिए दिवाला संकल्प प्रक्रियाएं।
- कार्पोरेटों तथा व्यक्तियों, दोनों के लिए कोड के अंतर्गत प्रदान किए गए निर्गम मार्ग।

कोड के प्रत्येक तथ्यों को सबसे अधिक सरल भाषा में सम्मिलित करने का हमारा अथक प्रयास रहा है ताकि दिवाला और शोधन अक्षमता से संबंधित कानून के बारे में अपेक्षित शिक्षा और जागरुकता बनाई जा सके।

हमें विश्वास है कि यह पुस्तिका आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

सीएस अल्का कपूर
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
आईसीएसआई दिवाला व्यावसायिक एजेंसी

दिवाला तथा शोधन अक्षमता कोड, 2016

पृष्ठभूमि

दिवाला तथा शोधन अक्षमता कोड, 2016 आज के समय की मांग है क्योंकि यह व्यक्तियों और निगमों, दोनों के लिए दिवाला प्रक्रिया को व्यापक किंतु सरल बनाता है। इसकी सीमा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के लोग आते हैं जिनमें किसानों से लेकर अरबपति व्यवसायी, स्टार्ट–अप से लेकर बड़े कार्पोरेट घराने सम्मिलित हैं। हालांकि, यह महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक व्यक्ति तथा कार्पोरेट को कोड के आशय की समझ होनी चाहिए तथा इसके अंतर्गत अपने अधिकारों की पहचान होनी चाहिए ताकि कोड का उपयोग पूरी तरह से किया जा सके। डेव रामसे की एक उक्ति में सही कहा गया है कि – ''ऋण से बाहर निकलने का कोई शॉर्टकट नहीं हैं' इसलिए ऋण से बाहर निकलने के शॉर्टकट उपायों की बजाए संरचित कोड को अपनाना व्यवसायियों तथा व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है।

कोड समयबद्ध दिवाला और शोधन समाधान /कायाकल्प (अर्थात 180 /90 दिनों के भीतर, जैसी भी स्थिति है) प्रदान करता है। यह ''ऋण स्थगन'' प्रदान करता है अर्थात शांत अवधि जो आसान समाधान के लिए उक्त 180 दिनों के दौरान समस्त कानूनी कार्रवाई को रोक देती है। यदि 180 दिनों के भीतर (जमा एक बारगी 90 दिनों का विस्तार) किसी व्यवहारिक कायाकल्प की संभावना नहीं है, जैसा कि कोड में परिकल्पना की गई है, केवल तभी कार्पोरेट ऋणी परिसमापन में जाएगा। एक आर्थिक सुधार के तौर पर कोड संस्थाओं को पहले के सुधारों, जो मोटे तौर पर सरल 'प्रवेश' पर केंद्रित थे, से अलग व्यवसाय असफल होने के कारण बाजार से 'निकास' के लिए एक आसान मार्ग देता है।

कार्पोरेट द्वारा वित्तीय चूक

कार्पोरेट, चाहे वह बड़ा है अथवा छोटा, जोखिम तथा व्यवसाय अथवा वित्तीय असफलता के लिए अति संवेदनशील हैं। ऐसे मामलों में इससे न केवल कार्पोरेट बल्कि ऐसे कार्पोरेट के स्टेकधारकों पर भी प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, माल और सेवा प्रदाताओं के सप्लायर व्यवसाय प्रचालन में कंपनी की सफलता का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। कंपनी द्वारा सप्लायरों तथा सेवा प्रदाताओं को किसी प्रकार की वित्तीय चूक कंपनी को बहुत आगे तक नहीं ले जा सकती है।

व्यक्तियों की ऋणग्रस्तता

व्यक्तिगत मोर्चे पर, हम किसानों, किराना दुकान मालिकों तथा और भी कइयों को देख रहे हैं जो अपना काम अथवा व्यवसाय चलाने के लिए बैंकों, वित्तीय संस्थानों अथवा अन्य व्यक्तियों से ऋण लेते हैं। ऐसी परिस्थितियां हो सकती हें जब वे अपनी देनदारियां तथा ऋण जिम्मेदारियां पूरी करने में असफल रहते हैं। ऐसे में उन्हें उपलब्ध किसी संरचित उपाय की अनुपस्थिति में उनके लिए इस ऋणग्रस्तता से बाहर निकलने का रास्ता बहुत कठिन हो जाता है।

एकीकृत कोड की आवश्यकता

ऐसे सभी कारक इसे अनिवार्य बना देते हैं कि दिवाला और शोधन अक्षमता के ऐसे उदाहरणों को दूर करने के लिए कोई तंत्र विकसित किया जाए जो कार्पोरेटों, स्टार्ट–अप तथा व्यक्तियों के लिए नए सिरे से आरम्भ करने के अवसर प्रदान करता है। हालांकि, पहले एक विधायी ढांचा भी था परन्तु कानून फैला हुआ था जिसमें कई स्तरों पर निर्णयन तंत्र था।

इसकी वजह से सरकार ने दिवाला और शोधन अक्षमता कोड, 2016 ('कोड') लागू किया जो एक निर्धारित समय अवधिक में एक संरचित प्रक्रिया के माध्यम से कार्पोरेटों, फर्मों तथा व्यक्तियों के वित्तीय और ऋण संकटों को दूर करने में मदद करेगा।

सामान्य व्यक्ति को कोड की आवश्यकता क्यों है?

दिवालिएपन के समाधान के लिए आवेदन करने का आधार ऋण को चुकता करने में चूक है चाहे वह व्यक्ति है अथवा कार्पोरेट। इसका कारण कार्पोरेटों की व्यवसाय / वित्तीय असफलता हो सकता है तथा व्यक्तियों के मामले में यह नौकरियों में कटौती, किसानों के लिए फसल की बर्बादी तथा ऐसा ही कुछ हो सकता है। कोड संरचित योजना के माध्यम से वास्तविक विफलता से नई शुरुआत प्रदान करता है। कोड के माध्यम से पता लगाए गए कुछ मामले हैं :

कंपनियों द्वारा बैंकों, वित्तीय संस्थानों तथा व्यक्तियों को भुगतान में चूक

- बैंकों और वित्तीय संस्थानों को आवधिक ऋण तथा अन्य उधारियों का भुगतान करने में विफलता।
- बैंकों और वित्तीय संस्थानों के अलावा, व्यक्ति भी डिबेंचरों, बांडों, जमा राशियों आदि के रुप में धन उधार देते हैं। उन्हें भुगतान करने में भी विफलता हो सकती है।

दिवाला तथा शोधन अक्षमता कोड, 2016

आपूर्तिकर्ताओं, कर्मचारियों आदि को भुगतान में चूक

- कम्पनी को माल की आपूर्ति या सेवाएं देने वाले व्यक्तियों के साथ निरंतर व्यवसाय सुनिश्चित करने एवं अच्छे व्यवसाय संबंधों के लिए उन्हें भुगतान करना जरूरी है। तथापि, कई कंपनियां ऐसे व्यक्तियों को भुगतान करना रोक देती हैं जिससे आपूर्ति में बाधा आती है और कम्पनी के अशोध्य ऋण बढ़ जाते हैं।
- हमारे देश में नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को वेतन का भुगतान न करना आम बात है। यह भी असामान्य नहीं है कि कई बार कर्मचारी को कई माह तक पारिश्रमिक नही मिलता है।

स्टार्ट–अप की विफलता

- हमारे देश में नये उद्यमियों का अभाव नहीं है, विशेषकर उन्हें एवं उनके विज़न को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाओं की शुरूआत के समय यह देखने को मिलता है। तथापि, आईबीएम द्वारा किये गए नये अध्ययन के अनुसार लगभग 90 प्रतिशत स्टार्ट–अप असफल रहते हैं।
- कोड के लागू होने से पूर्व, भारतीय कानूनी ढांचा व्यवसाय के त्वरित समाधान एवं व्यवसाय बंद करते समय इन असफल स्टार्ट–अप पर ध्यान नहीं देता था। इसमें अनिश्चित परिणामों के साथ लम्बी प्रक्रिया शामिल है जिसके कारण व्यवसाय करने में आसानी को सफलता नही मिलती है।

संकट में फंसे किसानों को मदद करना

- भारत मुख्य तौर पर कृषि प्रधान देश है। लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या किसान हैं तथा ये देश की रीढ़ हैं क्योंकि देश की खुशहाली मोटे तौर पर इन पर निर्भर करती है।
- राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो आंकड़ों के अनुसार, कुल 8,007 किसानों में से, जिन्होंने 2015 में आत्महत्या की थी, 3,097 किसानों ने आत्महत्या शोधन अक्षमता अथवा बैंकों और पंजीकृत सूक्ष्म वित्तपोषण संस्थानों से ऋण लेने के बाद ऋण ग्रस्तता के कारण की। फसल की बर्बादी के परिणामस्वरुप बढ़ते हुए ऋण के मुख्य कारणवश वे इन ऋणों को चुकता करने में असमर्थ हो गए थे।

रोजगार में कमी

- पुरातन काल से ही रोजगार की कमी रही है।
- शहरी मध्य वर्ग में – गृह ऋण, व्यक्तिगत ऋण, क्रेडिट कार्ड ऋण एवं मासिक ईएमआई भुगतान के साथ रोजगार में कमी हो रही है, व्यापक स्तर पर बढ़ते ऋणों के साथ अर्थव्यवस्था की स्थिति भयावह बनने की संभावना है।

सामाजिक बुराई

- भारत में शोधन अक्षमता या दिवाला बहुत की शर्मनाक माना जाता है। इससे जुड़ी सामाजिक बुराई के कारण लोग स्वयं को दिवाला घोषित करने से हिचकिचाते हैं।
- दिवाला व्यक्ति लेनदारों का भी विश्वास खो देता है और उसके लिए भविष्य में ऋण लेना कठिन हो जाता है।

दिवाला तथा शोधन अक्षमता कोड, 2016

कोड से विभिन्न स्टेकधारकों को कैसे लाभ मिलेगा?

किसान*

कोड के अंतर्गत किसानों को दिया गया समाधान नई शुरुआत प्रक्रिया के लिए लागू होगा, जिसके माध्यम से किसान एक अदालती आदेश के द्वारा रुपये 35,000 तक के अपने ऋण को बट्टे खाते में डाल सकता है।

अपने ऋणों को चुकता करने का परिश्रम कर रहा व्यक्ति*

अपने ऋणों को चुकता करने का परिश्रम कर रहा व्यक्ति ऋण की मात्रा के आधार पर नई शुरुआत प्रक्रिया अथवा दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए आवेदन कर सकता है। यदि कोई भी समाधान प्रक्रिया काम नहीं करती है, तो व्यक्ति सभी ऋणों ऋणशोधन के लिए शोधन अक्षमता हेतु आवेदन कर सकता है।

सामाजिक बुराई झेल रहा व्यक्ति*

कोड में दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए आवेदन करने के लिए व्यक्तियों हेतु एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जो उसके द्वारा डूबने के बजाए संरचित भुगतान करके वित्तीय संकटों से निपटने में उनकी मदद करेगी।

स्टार्ट अप

स्टार्ट अप में असफल रहने पर तेजी से बाहर निकलने के लिए अब फास्ट–ट्रैक दिवाला समाधान प्रक्रिया अपनायी जा सकती है। फास्ट–ट्रैक प्रक्रिया ऐसा तंत्र उपलब्ध कराती है जिसके द्वारा प्रक्रिया 90 दिनों के भीतर समाप्त हो जाएगी (45 दिनों वाले एक–बार विस्तार के साथ)।

नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारियों को वेतन का भुगतान न करना

वेतनभोगी कर्मचारी अब कोड द्वारा निर्धारित निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के अंतर्गत परिचालन लेनदारों की क्षमता में अपने अतिदेय वेतन का दावा कर सकते हैं।

कंपनियों द्वारा भुगतान की चूक

एक चूककर्ता कंपनी के वित्तीय संकट को समयबद्ध तरीके से वित्तीय लेनदार / परिचालन लेनदार अथवा चूककर्ता कंपनी, स्वयं द्वारा कोड के अंतर्गत समाधान प्रक्रिया आरम्भ करके सुलझाया जा सकता है।

घर केताओं के लिए राहत

एनसीएलटी में मामलों, जैसे जेपी इन्फ्राटेक तथा आम्रपाली सिलिकॉन सिटी, के प्रभाव के बाद, जहां रियल एस्टेट कंपनियों ने दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए आवेदन दिए हैं, घर केताओं को कोड के अंतर्गत लेनदार के तौर मान्यता दी गई है जिससे उन्हें अपनी देय राशियों का दावा करने में मदद मिलेगी।

***व्यक्तिगत दिवाला से संबंधित प्रावधान अभी अधिसूचित किए जाने हैं।**

दिवाला तथा शोधन अक्षमता कोड, 2016

कोड का व्यापक ढांचा

कोड में दो प्रकार की दिवाला समाधान प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जिनके नाम हैं :

1. व्यक्तियों तथा साझेदारों के लिए दिवाला समाधान
2. निगमों तथा एलएलपी के लिए दिवाला समाधान कोड के स्थूल ढांचे को निम्नलिखित आरेख से समझा जा सकता है :

दिवाला तथा शोधन अक्षमता कोड

व्यक्ति और साझेदारी फर्में

- नई शुरूआत प्रक्रियाएं (कम आय व्यक्तियों और निर्धारित न्यूनतम संपत्तियों के लिए तीव्र समाधान प्रक्रिया)
- दिवाला समाधान प्रक्रिया (180 दिनों में समयबद्ध समाधान)
- 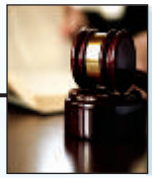 शोधन अक्षमता आदेश (दिवाला समाधान प्रक्रिया की असफलता के मामले में निकास मार्ग)

कंपनियां एवं सीमित देनदारी साझेदारी फर्में

- फास्ट ट्रैक प्रक्रियाएं (छोटी कंपनियों, स्टार्टअप तथा असूचीबद्ध कंपनियों यथा निर्दिष्ट के लिए तीव्र समाधान प्रक्रिया)
- निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) (180 दिनों में समयबद्ध समाधान)
-

परिसमापन (निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया की असफलता के मामले में निकास मार्ग)
-

स्वैच्छिक परिसमापन

दिवाला तथा शोधन अक्षमता कोड, 2016

कोड के अंतर्गत संस्थागत संरचना

कोड का आधार पांच स्तंभों पर आधारित हैं। ये पांच स्तंभ हैं, निर्णय करने वाला अधिकरण, भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड, सूचना उपयोगिताएं, दिवाला व्यावसायिक एवं दिवाला व्यावसायिक एजेंसियां। यहां नीचे एक रेखाचित्र के माध्यम से संस्थागत संरचना का विवरण दिया गया:

न्यायिक अधिकरण (आवेदन देने और अपील करने के लिए) –

कंपनियां एवं एलएलपी– राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) एवं राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी)

व्यक्तिगत एवं साझेदार कंपनियां– ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) एवं ऋण वसूली अपील न्यायाधिकरण (डीआरएटी)

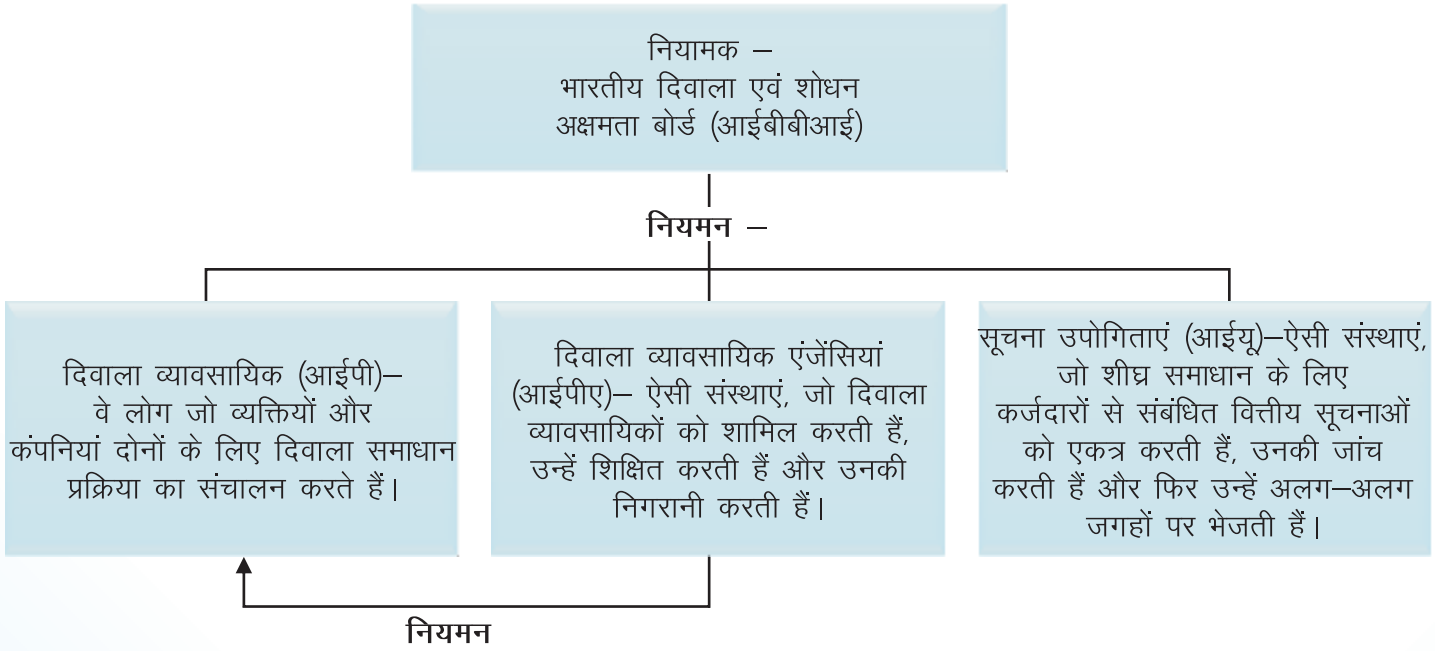

1. न्यायिक प्राधिकरण

कंपनी और सीमित दायित्व साझीदार कंपनियों के मामलों में कोड के अंतर्गत निर्णय करने वाले प्राधिकरण राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) और व्यक्तिगत एवं साझीदार कंपनियों के मामले में ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) है। कोई भी व्यक्ति समाधान प्रक्रिया के लिए एनसीएलटी में अपील कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति को एनसीएलटी के निर्णय या फैसले से असंतुष्टि होती है, तो वे 30 दिनों के भीतर राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) में अपील कर सकते हैं। अगर उसके पास इस दिए गए समय के भीतर अपील नहीं करने का पर्याप्त कारण है, तो उसे अपील करने के लिए अतिरिक्त 15 दिनों का समय दिया जाएगा। इसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का समय एनसीएलएटी के निर्णय के बाद 45 दिन है, जिसमें 15 दिन का अतिरिक्त समय भी शामिल है। कोड के अंतर्गत अपील करने की प्रक्रिया को नीचे दिए गए डायग्राम के माध्यम से बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है।

दिवाला तथा शोधन अक्षमता कोड, 2016

एनसीएलटी और एनसीएलएटी दोनों के पास अदालत की शक्ति है

कंपनियां एवं सीमित दायित्व साझेदारी	पक्ष (पार्टी)	व्यक्तिगत एवं साझेदार कंपनी
आवेदन		आवेदन
राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण	निर्णय करने वाला प्राधिकरण	ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी)
एनसीएलटी के फैसले के बाद 30 दिनों के भीतर अपील (पर्याप्त कारण रहने पर 15 दिनों का अतिरिक्त समय)		डीआरटी के फैसले के बाद 30 दिनों के भीतर अपील (पर्याप्त कारण रहने पर 15 दिनों का अतिरिक्त समय)
राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी)	अपीलीय अधिकरण	ऋण वसूली अपील न्यायाधिकरण (डीआरएटी)
एनसीएलएटी के फैसले के बाद 30 दिनों के भीतर अपील (पर्याप्त कारण रहने पर 15 दिनों का अतिरिक्त समय)		डीआरएटी के फैसले के बाद 30 दिनों के भीतर अपील (पर्याप्त कारण रहने पर 15 दिनों का अतिरिक्त समय)
सुप्रीम कोर्ट	शीर्ष प्राधिकरण	सुप्रीम कोर्ट

एनसीएलटी का अधिकार क्षेत्र — कॉर्पोरेट पर्सन का पंजीकृत कार्यालय जिस क्षेत्र में स्थित है, उसी क्षेत्र के अधिकार वाली एनसीएलटी बेंच के अंतर्गत आवेदन किया जाएगा।

डीआरटी का अधिकार क्षेत्र — डीआरटी बेंच में आवेदन उसके उसी क्षेत्र के में किया जाएगा, जहां कर्जदार वास्तव में और स्वेच्छा पूर्वक निवास करता है या प्राप्ति के लिए व्यावसाय या व्यक्तिगत कार्य करता है।

दिवाला तथा शोधन अक्षमता कोड, 2016

2. भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (नियामक प्राधिकरण)

कोड के अंतर्गत भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई या बोर्ड) एक नियामक प्राधिकरण है, जिसकी स्थापना भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 2016 को की थी। आईबीबीआई का मुख्य काम तीन अन्य स्तंभों इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसियां और सूचना उपयोगिताएं के कार्यों का नियमन करना है।

आईबीबीआई के मुख्य काम

कोड के अंतर्गत निर्देशित दिवालिया एवं शोधन अक्षमता से संबंधित मामलों के लिए दिशानिर्देश एवं नियम बनाना

दिवाला व्यावसायिक एजेंसियां, इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एवं सूचना उपयोगिताएं का पंजीकरण करना (पंजीकरण)

दिवाला व्यावसायिक एजेंसियां, दिवाला व्यावसायिक एवं सूचना उपयोगिताओं का निरीक्षण एवं जांच पड़ताल करना

दिवालिया एवं शोधन अक्षमता से संबंधित दस्तावेजों को एकत्र करना तथा उसे संभालना

दिवाला व्यावसायिक एजेंसियां, दिवाला व्यावसायिक एवं सूचना उपयोगिताओं के खिलाफ शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया का उल्लेख करना

संचालन में पारदर्शिता और बेहतर कार्य प्रणाली को प्रोत्साहन देना

3. दिवाला व्यावसायिक एजेंसियां

दिवाला व्यावसायिक एजेंसियां (आईपीएज) वैसी संस्थाएं हैं, जिन्हें दिवाला व्यावसायिकों की भर्ती, उन्हें शिक्षित करने, उनकी निगरानी, नियमन करने और दिशानिर्देश देने के लिए बिना लाभ वाली कंपनी के तौर पर निगमित किया जाता है। वर्तमान में आईबीबीआई में तीन आईपीएज आईसीएसआई दिवाला व्यावसायिक एजेंसी (आईसीएसआई आईपीए), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स ऑफ आईसीएआई (आईआईपीआईसीएआई) और इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी ऑफ आईसीएमएआई (आईपीएआईसीएमएआई) पंजीकृत हैं।

दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों की भूमिका

दिवाला व्यावसायिकों की भर्ती करना और जरूरत पड़ने पर इनकी सदस्यता निलंबित करना

दिवाला व्यावसायिकों (सदस्यों) के लिए व्यावसायिक आचरण के मानक स्थापित करना

इसके सदस्यों को शिक्षित करना और प्रशिक्षण देना

दिवाला व्यावसायिकों की निगरानी करना

अपने सदस्यों के अधिकारों, सुविधाओं एवं लाभों की रक्षा करना

अपने सदस्यों के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करना

4. दिवाला व्यावसायिक

जिस व्यक्ति ने सीमित दिवाला परीक्षा पास की है और उसके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट / कंपनी सचिव / लागत लेखाकार / एडवोकेट के तौर पर दस सालों का अनुभव हो या वैसे ग्रेजुएट, जिसने सीमित इंसोल्वेंसी परीक्षा पास की हो और उसके पास 15 साल का मैनेजमेंट अनुभव हो, दिवाला व्यावसायिक के तौर पर पंजीकृत किए जाने के योग्य होते हैं। इन्हें किसी भी दिवाला व्यावसायिक एजेंसी और आईबीबीआई में पंजीकरण कराना होता है। ये ऐसे व्यावसायिक होते हैं, जो व्यक्तिगत एवं कॉर्पोरेट्स दोनों से संबंधित दिवाला समाधान प्रक्रिया का संचालन करते हैं। कोड के अंतर्गत इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इनके ऊपर भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (नियामक) और इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, जिसके ये सदस्य होते हैं, उनकी नजर होती है।

दिवाला तथा शोधन अक्षमता कोड, 2016

कोड के अंतर्गत समाधान प्रक्रिया

जैसा कि पहले चर्चा की गई है, कोड समाधान प्रक्रिया प्रदान करता है

क. कंपनियां एवं सीमित दायित्व साझेदार कंपनियां

ख. व्यक्तिगत एवं साझेदार कंपनियां

क. कंपनियां एवं सीमित दायित्व साझेदार कंपनियों के मामले में

1. कॉर्पोरेट इनसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस (सीआईआरपी)

– सीआईआरपी कब दखल दे सकती है?

जब किसी कॉर्पोरेट कर्जदार के द्वारा बकाया राशि न्यूनतम एक लाख रुपया हो, तो कंपनी या एलएलपी के खिलाफ दिवाला समाधान प्रक्रिया की सुनवाई ऋणदाता या कर्जदार स्वयं कर सकते हैं।

– सीआईआरपी में कौन जा सकते हैं ?

वित्तीय लेनदार

वह व्यक्ति जिसका ऋण बकाया है और साथ में वह व्यक्ति जिसे इस तरह का ऋण कानूनी तौर पर दिया गया है या स्थानांतरित किया गया है।

(उदाहरणः बैंक, कोई भी वित्तीय संस्था/कंपनी, डिबेंचर (ऋणपत्र)/डिपॉजिट होल्डर (जमा धारक), व्यक्ति आदि)

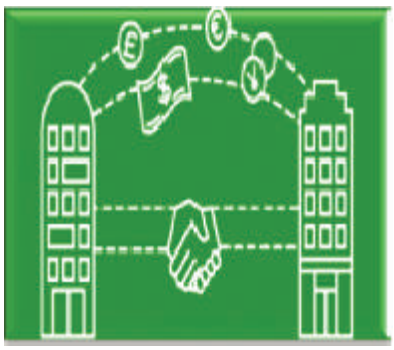

प्रचालन लेनदार

वह व्यक्ति जिसका ऋण बकाया है और साथ में वह व्यक्ति जिसे इस तरह का ऋण कानूनी तौर पर दिया गया है या स्थानांतरित किया गया है।

(उदाहरणः सेवा प्रदाता, वस्तुओं की आपूर्ति करने वाला, कामकाजी लोग, कर्मचारी आदि)

कॉर्पोरेट लेनदार

कॉर्पोरेट संस्था जिसने किसी व्यक्ति से ऋण लिया है।

(कंपनी या एलएलपी अपने खिलाफ दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू कर सकता है)

i) वित्तीय लेनदार

जब कोई कॉर्पोरेट कर्जदार अपना कर्ज देने में असफल हो जाता है, तो वित्तीय ऋणदाता या तो स्वयं या फिर दूसरे वित्तीय ऋणदाता के साथ संयुक्त तौर पर कॉर्पोरेट कर्जदार के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए एनसीएलटी के पास आवेदन दे सकता है।

ii) प्रचालन लेनदार

रोजगार सहित वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रावधानों के संदर्भ में चूक होने पर या केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण को समय सीमा के अंतर्गत दिए जाने वाले बकाया के भुगतान के संदर्भ के ऋण के लिए प्रचालन ऋणदाता की ओर से बकाया राशि की इनवॉयस के साथ बकाया प्रचालन ऋण के लिए डिफॉल्टिंग कॉर्पोरेट कर्जदार को डिमांड नोटिस भेजा जा सकता है। यदि प्रचालन ऋणदाता नोटिस प्राप्ति की तारीख के दस दिनों के भीतर कॉर्पोरेट कर्जदार की ओर से भुगतान या विवादित बकाया नोटिस

(अगर है तो) नहीं प्राप्त करता है, तो प्रचालन ऋणदाता निर्णय करने वाले प्राधिकरण के पास कार्पोरेट दिवाला प्रक्रिया के लिए आवेदन दे सकता है।

iii) कॉर्पोरेट देनदार स्वयं

यदि कोई कॉर्पोरेट देनदार चूक करता है तो कॉर्पोरेट देनदार स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से कॉर्पोरेट दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया प्रारंभ कर सकता है।

- **सीआईआरपी की पूर्णता के लिए समय–सीमा**

सीआईआरपी की पूर्णता के लिए समय–सीमा न्यायिक प्राधिकरण द्वारा एक बार अधिकतम 90 दिनों के विस्तार, यदि स्वीकृत किया जाता है, दिवाला प्रारंभ होने की तिथि से 180 दिन है।

- **सीआईआरपी के अंतर्गत प्रक्रिया**

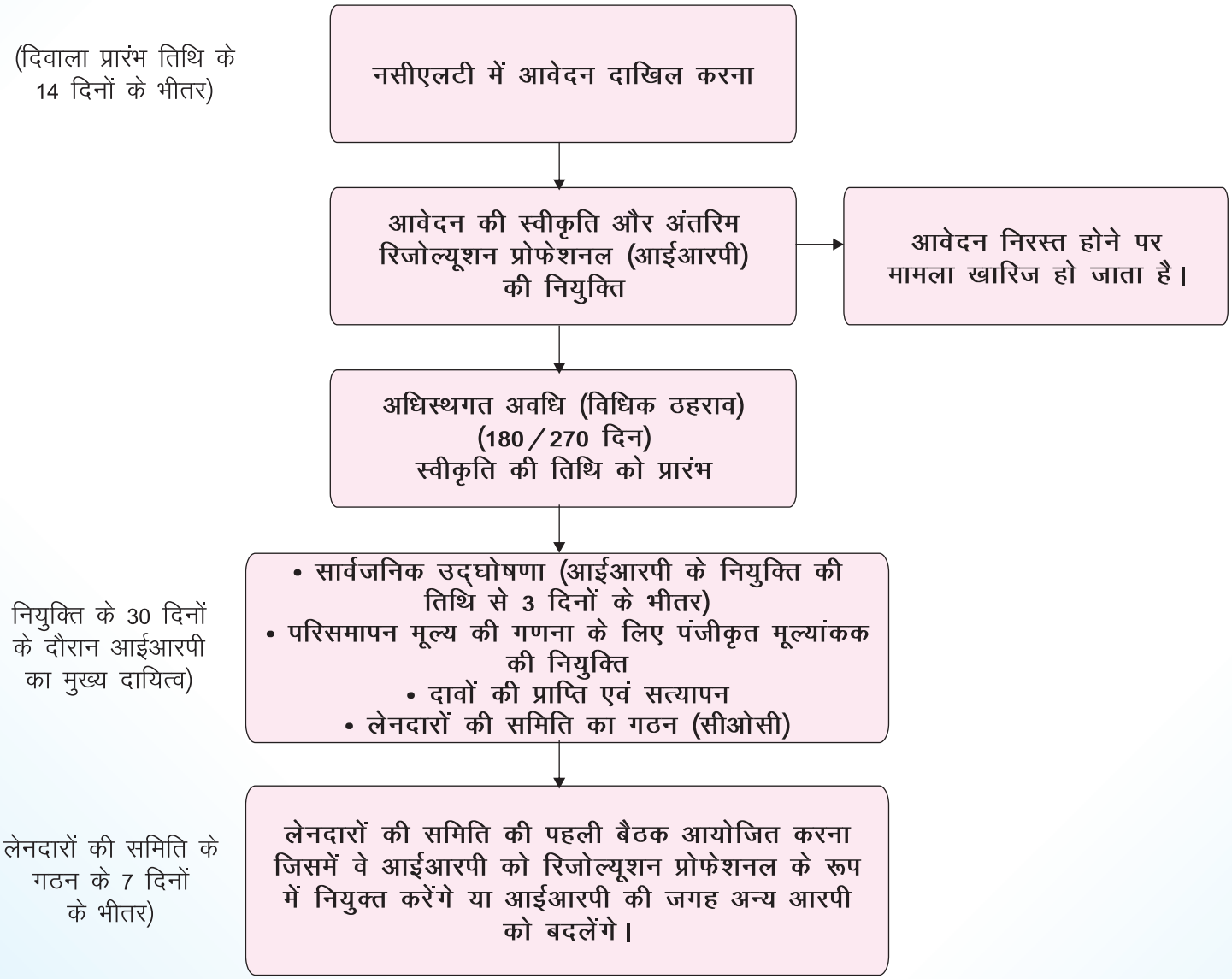

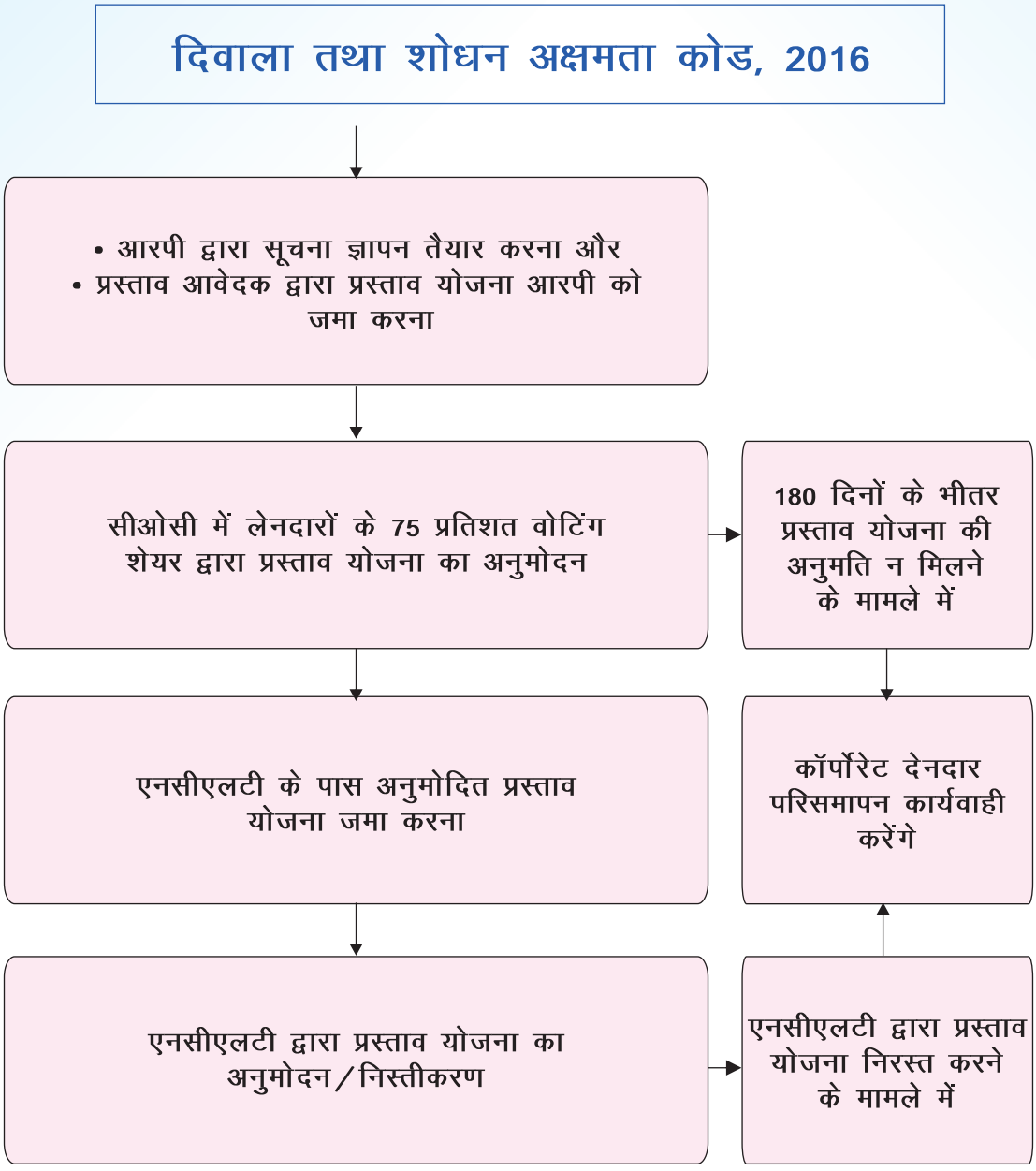

दिवाला तथा शोधन अक्षमता कोड, 2016

2. **त्वरित दिवाला समाधान प्रक्रिया – (छोटी कंपनियों, स्टार्ट–अप और गैरसूचीबद्ध कंपनियों के लिए)**

संहिता के अंतर्गत विशेषकर छोटी कंपनियों, स्टार्ट–अप एवं गैरसूचीबद्ध कंपनियों के लिए एक त्वरित प्रस्ताव प्रक्रिया भी विनिर्देशित की गई है।

- **कौन आवेदन कर सकते हैं?**

न्यूनतम रु. 1,00,000 की चूक पर परिचालन लेनदार, वित्तीय लेनदार एवं कॉर्पोरेट देनदार त्वरित प्रस्ताव प्रक्रिया के लिए संहिता के अंतर्गत दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने के लिए एनसीएलटी को आवेदन कर सकते हैं।

- **त्वरित प्रक्रिया पूर्ण करने की समय–सीमा**

त्वरित प्रक्रिया के अंतर्गत प्रस्ताव को पूर्ण करने की समय–सीमा एनसीएलटी द्वारा एक–समय अधिकतम विस्तार 45 दिन, यदि स्वीकृत किया जाता है, के साथ दिवाला कार्यवाही प्रारंभ होने की तिथि से 90 दिन है।

दिवाला तथा शोधन अक्षमता कोड, 2016

- **इकाईयां जो शामिल की गई हैं**

छोटी कम्पनी

- छोटी कंपनियां अर्थात् सार्वजनिक कम्पनी के अलावा एक कंपनी जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती हैं:
  - प्रदत्त शेयर पंजी < रु. 50 लाख या इससे अधिक राशि जो 5 करोड़ से अधिक न हो; या
  - कम्पनी के अंतिम लाभ एवं हानि खाते के अनुसार कारोबार < रु. 2 करोड़ या इससे अधिक राशि जो 20 करोड़ से अधिक न हो
  - (तथापि, यह होल्डिंग या सहायक कम्पनी, धारा 8 कम्पनी या किसी विशेष अधिनियम द्वारा शासित कम्पनी/निकाय कार्पोरेट के लिए लागू नहीं है)

स्टार्ट अप

- यदि यह भारत में निजी लिमिटेड कम्पनी या पंजीकृत साझेदारी फर्म या एक सीमित दायित्व साझेदारी के रूप में गठित है;

  और

  - इसके गठन/पंजीकरण की तिथि से 7 वर्ष तक (जैवप्रौद्योगिकी क्षेत्र के मामले में 10 वर्ष); और
  - यदि गठन/पंजीकरण की तिथि से किसी भी वित्तीय वर्ष में इसका कारोबार <रु. 25 करोड़; और
  - यदि यह उत्पाद या सेवाओं के नवोन्मेष विकास या सुधार की दिशा में कार्यरत है, या यदि यह रोजगार अवसर या सम्पत्ति सृजन की उच्च क्षमता के साथ एक मापनीय व्यवसाय मॉडल है।

गैरसूचीबद्ध कम्पनी

- <रु. 1 करोड़ की कुल सम्पत्ति के साथ गैरसूचीबद्ध कम्पनी (तत्काल पिछले वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरण के अनुसार)

- **त्वरित प्रक्रिया के अंतर्गत प्रक्रिया:**

एनसीएलटी को त्वरित दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के लिए आवेदन

↓

अंतरित रिजोल्यूशन प्रोफेशनल (आईआरपी) की नियुक्ति

दिवाला तथा शोधन अक्षमता कोड, 2016

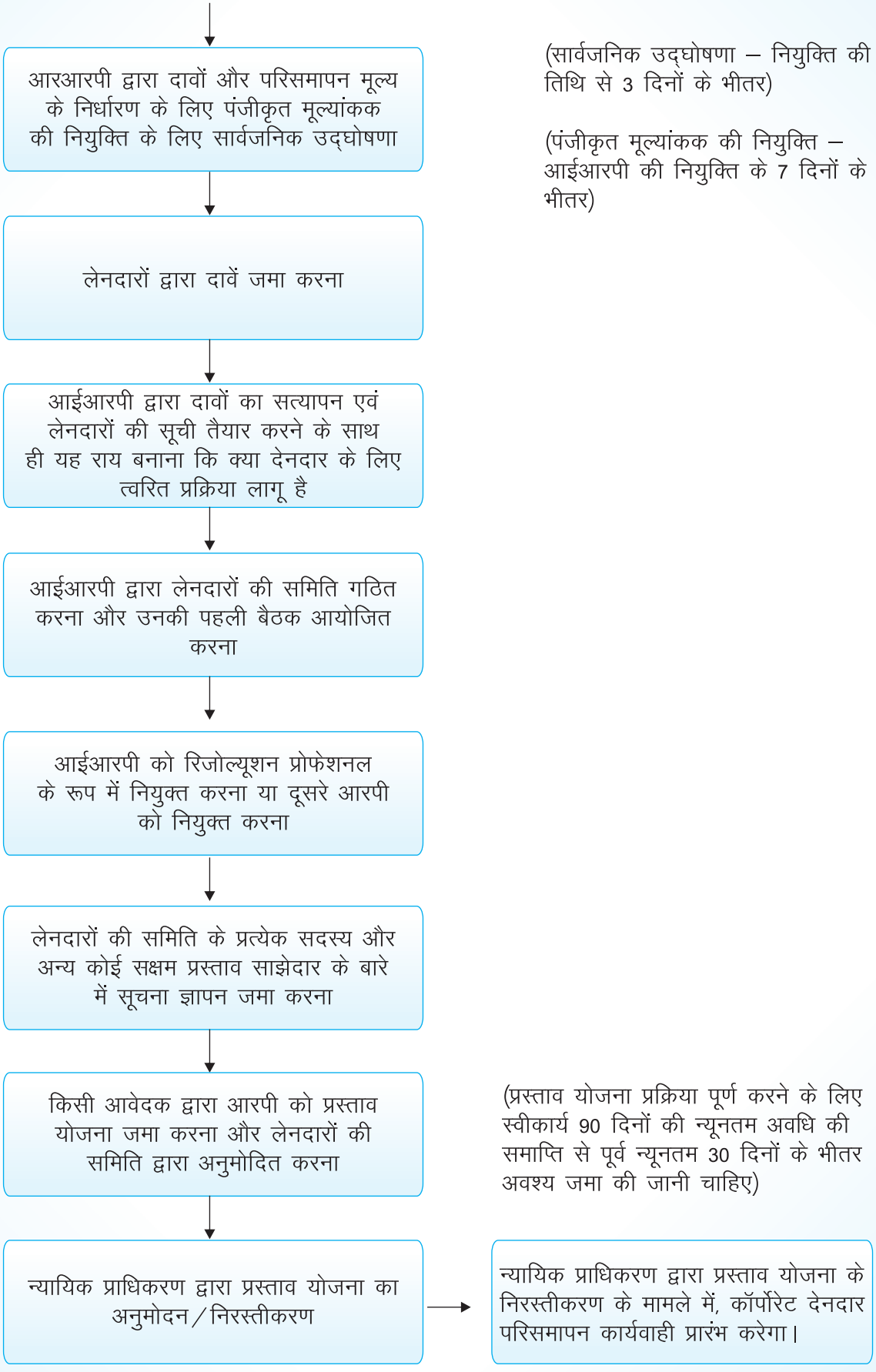

ख. व्यक्तियों के लिए प्रस्ताव प्रक्रिया

अक्सर यह देखने में आता है कि कई बार व्यक्ति वित्तीय दिक्कतों का सामना करने के कारण अपने किराये, यूटिलिटी बिलों, करों या व्यक्तिगत ऋणों का भुगतान नहीं कर पाता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए कोड में निम्नलिखित विचार किया गया है:

- दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया जिसमें रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की निगरानी के अधीन देनदार एवं लेनदार के बीच लेनदेन की व्यवस्था शामिल होती है; और
- एक नई प्रारंभ प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति को कुछ परिसम्पत्ति स्तर एवं आय के साथ अपने ऋणों को बट्टे खाते डालने और नई प्रक्रिया प्रारंभ करने की अनुमति दी जाती है।

यदि दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जाती है तो व्यक्ति शोधन अक्षमता प्रक्रिया प्रारंभ कर सकता है जिसके माध्यम से उसे दिवालिया घोषित किया जाता है।

दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया प्रारंभ करने की शर्त : किसी एक व्यक्ति या एक साझेदारी फर्म द्वारा/के खिलाफ दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए चूक की न्यूनतम राशि आईएनआर 1,000 (एक हजार रुपए) होना जरूरी है।

1. दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया:

- **आवेदन निम्नानुसार किया जा सकता है: चाहे देनदार या लेनदार द्वारा चूक पर डीआरटी को आवेदन किया जा सकता है**
- **प्रक्रिया :**

देनदार या लेनदार द्वारा डीआरटी में आवेदन दाखिल करना

(अंतरिम–अधिस्थगनकर्ता आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया प्रारंभ करेगा अर्थात् ऋण से संबंधित सभी लंबित कानूनी कार्यवाही रोक दी जाएगी और कोई भी लेनदार ऐसे ऋण के संबंध में आगे कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकता है)

↓

ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) द्वारा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की नियुक्ति

↓

आरपी द्वारा आवेदन की जांच करना और आवेदन स्वीकार या अस्वीकार करने की अनुसंशा के साथ डीआरटी को रिपोर्ट जमा करना

(उसकी नियुक्ति के 10 दिन के भीतर)

↓

डीआरटी द्वारा आवेदन की स्वीकृति/निस्तीकरण

(आरपी द्वारा रिपोर्ट जमा करने की तिथि से 14 दिनों के भीतर)

↓

स्वीकृति के मामले में, डीआरटी करेगी:
- अधिस्थगत की शुरूआत
- ऐसे मामले के 21 दिनों के भीतर लेनदारों के दावों के आमंत्रण के लिए सार्वजनिक सूचना जारी करना (आदेश पारित होने के 7 दिनों के भीतर)

↓

दिवाला तथा शोधन अक्षमता कोड, 2016

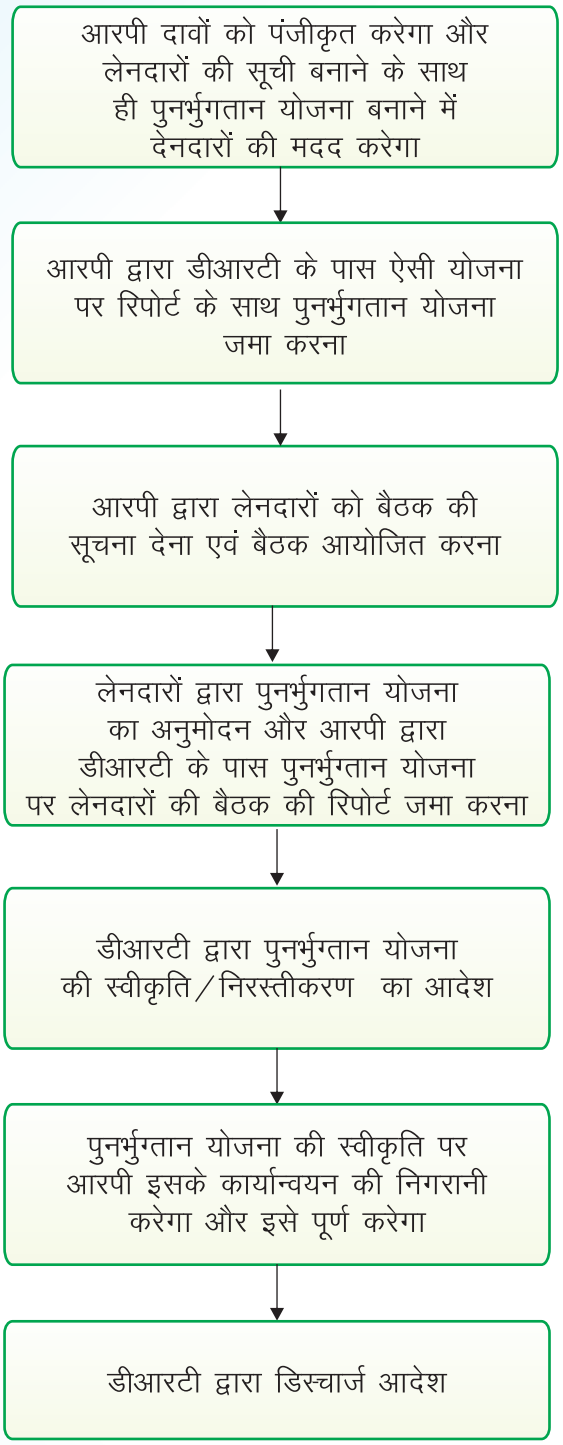

2. नई प्रक्रिया प्रारंभ करना : कम आय वाले व्यक्तियों और विनिर्देशित न्यूनतम परिसम्पत्तियों के लिए त्वरित प्रस्ताव प्रक्रिया

- **कौन प्रारंभ कर सकते है?**

  देनदार जो अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ है और विनिर्देशित शर्तों को पूरा करता है, वह अपने योग्य ऋणों की अदायगी के लिए नई प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु आवेदन (व्यक्तिगत तौर पर या रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के माध्यम से) करने का पात्र है।

- **योग्यता:**
- **देनदार की सकल वार्षिक आय रु. 60,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।**
- **देनदार के परिसम्पत्तियों का औसत मूल्य रु. 20,000 से अधिक नहीं होना चाहिए**

दिवाला तथा शोधन अक्षमता कोड, 2016

- योग्य ऋणों का औसत मूल्य रु. 35,000 से अधिक नहीं होना चाहिए।
- देनदार एक अभुक्त दिवालिया होना चाहिए।
- देनदार के पास कोई भी निवास स्थान, इस पर अधिभारों पर विचार किये बिना नहीं होना चाहिए।
- उसके खिलाफ नई प्रक्रिया प्रारंभ, दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया या शोधन अक्षमता नहीं चल रही हो।
- देनदार के खिलाफ नई प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए आवेदन की तिथि के पिछले 12 माह में कोई भी नई प्रक्रिया प्रारंभ करने का आदेश जारी न किया गया हो।

- **व्यक्ति जो सामान्यतः इसमें शामिल हो सकते हैं:**

किसान

छोटे व्यापारी

- **प्रक्रिया:**

डीआरटी को आवेदन दाखिल करना

(अंतरिम–अधिस्थगत आवेदन दाखिल करने पर प्रारंभ हो जाएगा अर्थात् ऋण से संबंधित सभी कानूनी कार्यवाही रोक दी जाएगी और कोई भी लेनदार ऐसे ऋण के संबंध में आगे कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकता है)

↓

ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) द्वारा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की नियुक्ति

↓

रिजोल्यूशन प्रोफेशनल द्वारा आवेदन की जांच एवं आवेदन को स्वीकार या निरस्त करने की अनुशंसा के साथ डीआरटी को रिपोर्ट सौंपना

(उसकी नियुक्ति के 10 दिनों के भीतर)

↓

डीआटी द्वारा आवेदन की स्वीकृति या निरस्तीकरण (स्वीकृति के मामले में अधिस्थगन अवधि प्रारंभ हो जाएगी)

(आरपी द्वारा रिपोर्ट जमा करने की तिथि से 14 दिन के भीतर)

दिवाला तथा शोधन अक्षमता कोड, 2016

लेनदारों द्वारा आपत्ति और आरपी द्वारा उसकी जांच

(डीआरटी द्वारा स्वीकृति के आदेश की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर)

योग्य देनदारों की अंतिम सूची तैयार कर डीआरटी के पास जमा करना

(इसे अधिस्थगन अवधि की समाप्ति से पूर्व न्यूनतम 7 दिनों के भीतर अवश्य जमा किया जाना चाहिए।

डीआरटी द्वारा डिस्चार्ज आदेश

कोड के अधीन निर्गम के तरीके

1. **परिसमापन** – सीआईआरपी की विफलता के मामले में निर्गम का तरीका सीआईआरपी की विफलता की स्थिति में परिसमापन प्रारंभ किया जाएगा।

- **परिसमापन की पृष्ठभूमि**

यदि न्यायिक प्राधिकरण को दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया अवधि की समाप्ति से पूर्व प्रस्ताव प्राप्त नहीं होता है

जहां न्यायिक प्राधिकरण आवश्यकताओं को पूरा न कर पाने के कारण प्रस्ताव योजना का निरस्त कर देता है

जहां लेनदार समिति कॉर्पोरेट देनदार को परिसमाप्त करने का निर्णय लेती है

जहां न्यायिक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव योजना पर कॉर्पोरेट देनदार या किसी अन्य व्यक्ति जिसका न्यायिक प्रक्रिया के कारण हित प्रभावित हो रहा हो, द्वारा कोई आपत्ति उठाई जाती है

- **Process**

परिसमापक की नियुक्ति

परिसमापन परिसम्पत्ति की सूची तैयार करना

दिवाला तथा शोधन अक्षमता कोड, 2016

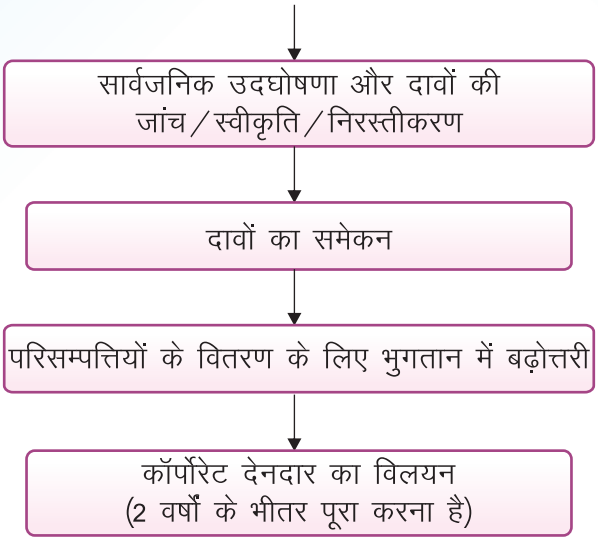

एक बार एनसीएलटी द्वारा परिसमापन का आदेश पारित करने पर कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ लंबित कानूनी कार्यवाही पर एक अधिस्थगन लगाया जाता है और देनदार की परिसम्पत्ति (परिसमापन की प्राप्तियों सहित) परिसमापन सम्पदा के तौर पर आरक्षित रहती है। **अधिस्थगन एक ऐसा आदेश है जिसमें कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ जिसमें कोई भी मुकदमा करना, लंबित मुकदमे को जारी रखना, कोई भी निर्णय देना, न्यायिक व्यवस्था करना, उसकी किसी परिसम्पत्ति का हस्तांतरण / कोई अन्य कानूनी अधिकार / उसके लाभार्थी हित, उसके किसी सुरक्षा हित पर कोई कार्यवाही और किसी भी स्वामी या पट्टाधारक द्वारा कोई भी सम्पत्ति, जहां ऐसी सम्पत्ति उसके द्वारा अधिगृहित है या कॉर्पोरेट देनदार के कब्जे में हैं, की रिकवरी करना प्रतिबंधित है।**

प्राप्तियों के वितरण के संबंध में कोड निम्नानुसार प्राथमिकताएं देता है:

- दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया एवं परिसमापन लागत
- कामगारों का बकाया (24 माह तक) और प्रतिभूत लेनदार का बकाया जिसने सुरक्षा से जुड़े हित छोड दिए हो (समान रैंक तक)
- कर्मचारियों का वेतन एवं अन्य भुगतान न किया गया बकाया (12 माह तक)
- प्रतिभूत लेनदारों के वित्तीय ऋण
- सरकारी बकाया (2 वर्ष तक) और सुरक्षा हित के प्रवर्तन का पालन करते हुए प्रतिभूत लेनदार जिनके बकाये का भुगतान न किया गया हो (समान रैंक तक)
- अन्य कोई शेष ऋण एवं बकाया
- अधिमान शेयरधारक, यदि कोई हो
- इक्विटी शेयरधारक या साझेदार, जैसा भी मामला हो

2. स्वैच्छिक परिसमापन

ऋण चुकाने में समर्थ कोई भी कंपनी इस कोड के अंतर्गत अपना व्यवसाय बंद कर सकती है। अगर कोई कंपनी बकाया के निपटारे में सक्षम हो लेकिन किसी कारण से अपना व्यवसाय जारी रखना नहीं चाहती हो, तो इन स्थितियों को पूरा करने पर वह स्वैच्छिक रूप से अपना व्यवसाय बंद कर सकती है:

- उसने किसी तरह के ऋण भुगतान में चूक नहीं की हो
- कंपनी के निदेशकों के बहुमत ने इस घोषणा पत्र को शपथ पत्र से सत्यापित किया हो, जिसमें निम्न बातें शामिल हों:
  1) उन लोगों ने कंपनी के कामों की पूरी जांच की है और यह राय बनाई है कि या तो कंपनी के ऊपर किसी तरह का कर्ज नहीं है या वह स्वैच्छिक परिसमापन की प्रक्रिया के दौरान संपत्तियों को बेचकर अपना सारा कर्ज चुका देगी
  2) परिसमापन किसी को धोखा देने के लिए नहीं किया जाता है
- घोषणा पत्र के साथ कॉर्पोरेट पर्सन का ऑडिट किया हुआ वित्तीय विवरण और मूल्यांकन रिपोर्ट जरूर होना चाहिए
- घोषणा पत्र के 4 सप्ताह के भीतर
  1) इस तरह के स्वैच्छिक परिसमापन के लिए कंपनी की आम बैठक में कंपनी के सदस्यों का विशेष प्रस्ताव होगा और ऋणशोधक के तौर पर एक इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की नियुक्ति होगी या
  2) कंपनी के अनुच्छेदों के द्वारा तय समयसीमा की समाप्ति या परिसमापन के लिए किसी कार्यक्रम के घटित होने के तौर पर स्वैच्छिक विघटन के लिए आम बैठक में कंपनी के सदस्यों का एक सामान्य प्रस्ताव होगा
- अगर कॉर्पोरेट व्यक्ति ने किसी व्यक्ति, ऋणदाता से कर्ज लिया हो, जिसकी कंपनी के पूरे कर्ज में दो तिहाई हिस्सेदारी हो, तो उसे आम बैठक के द्वारा उपरोक्त पारित प्रस्ताव उसके पारित होने के 7 दिनों के भीतर स्वीकृत करना होगा
- शुरू करने की तिथि

स्वैच्छिक परिसमापन की प्रक्रिया की प्रारंभिक तिथि कंपनी के सदस्यों द्वारा आम बैठक में पारित किए गए प्रस्ताव के दिन को माना जाएगा

- स्वैच्छिक परिसमापन की प्रक्रिया
- ऋणशोधक की नियुक्ति
- परिसमापन परिसंपत्ति का गठन
- सार्वजनिक घोषणा और जांच / प्रवेश / दावों की अस्वीकृति
- दावों का समेकन
- संपत्तियों का वितरण
- कॉर्पोरेट कर्जदार का विघटन (12 महीनों के भीतर पूरा हो)

3. शोधन अक्षमता आदेश: व्यक्तिगत और साझेदार कंपनियों के दिवाला समाधान प्रक्रिया के असफल होने के मामलों में निकास मार्ग

जब कोई व्यक्तिगत या साझेदार कंपनी अपने कर्ज का समाधान खोज रहा हो और वे कोड द्वारा निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया के अंतर्गत इसे करने में असमर्थ होता है, तो ऐसी व्यक्तिगत या साझेदार कंपनी या उनके ऋणदाता ऐसे व्यक्तिगत या साझेदार कंपनी के संदर्भ में शोधन अक्षमता आदेश के लिए ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) में अपील कर सकते हैं। डीआरटी के द्वारा धन अशोधन आदेश पारित किए जाने के बाद संबंधित व्यक्तिगत या साझेदार कंपनी को सभी ऋणों से मुक्त कर दिया जाता है।

- **कौन शुरुआत कर सकता है?**

  कोई भी कर्जदार या ऋणदाता शोधन अक्षमता प्रक्रिया के लिए डीआरटी से अपील कर सकता है।

- **इन परिस्थितियों में आवेदन किया जा सकता है:**

दिवाला तथा शोधन अक्षमता कोड, 2016

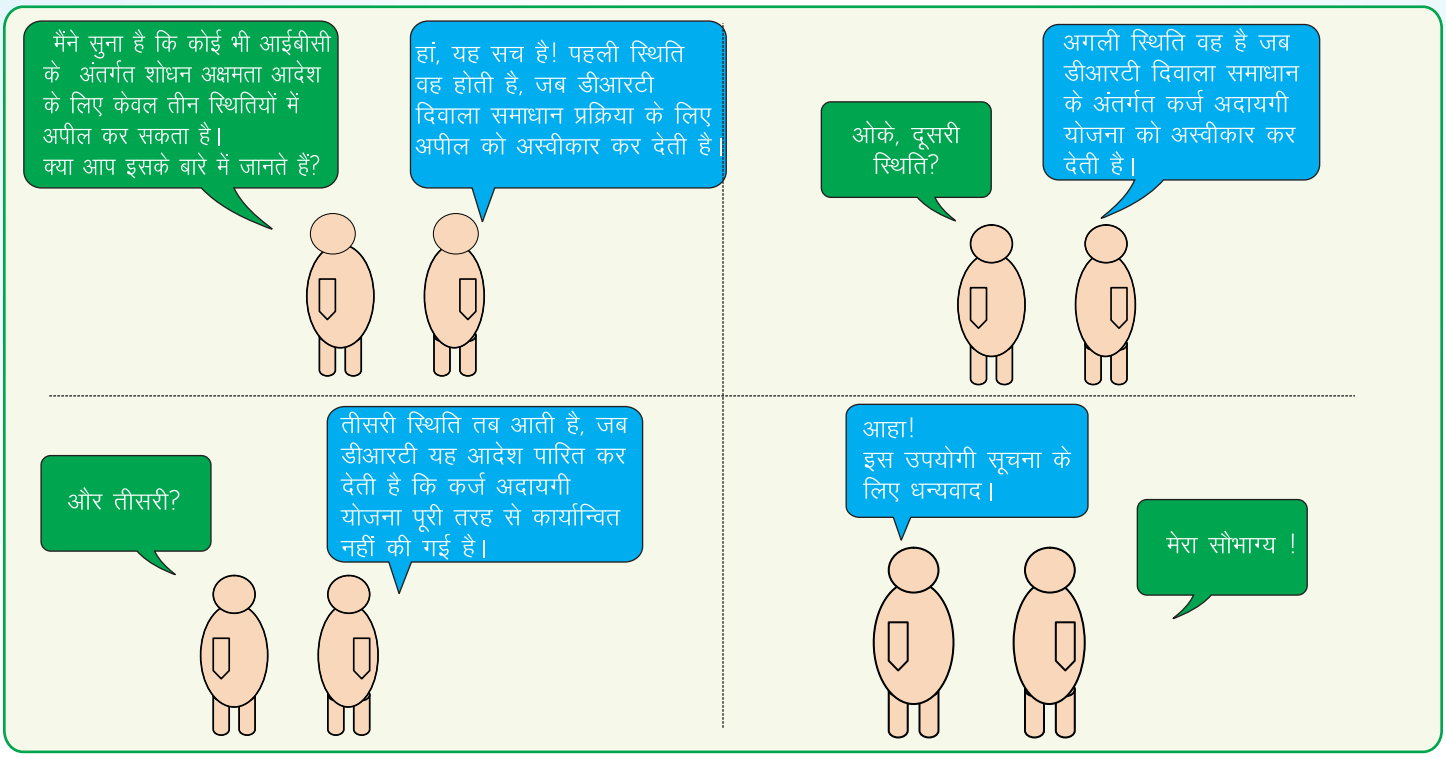

– **प्रक्रिया:**

शोधन अक्षमता के लिए डीआरटी के पास अपील

↓

शोधन अक्षमता ट्रस्टी (बीटी) के रूप में इनसोल्वेंसी प्रोफेशनल की नियुक्ति

↓

डीआरटी के द्वारा शोधन अक्षमता आदेश पारित करना

(धन अशोधन ट्रस्टी की पुष्टि या नियुक्ति के 14 दिनों के भीतर)

↓

कर्जदार के द्वारा बीटी के पास वित्तीय स्थिति का विवरण प्रस्तुत करना

(शोधन अक्षमता शुरू करने की तारीख के 7 दिनों के भीतर)

↓

ऋणदाताओं से दावों को आमंत्रित करके बीटी द्वारा सार्वजनिक नोटिस, इसका पंजीकरण और ऋणदाताओं की सूची तैयार करना

(शोधन अक्षमता शुरू करने की तारीख से 21 दिनों के भीतर बीटी बैठक की नोटिस जारी करेगा)

↓

ऋणदाताओं को समन भेजना और बैठक बुलाना

(ऋण स्थगन की समाप्ति की तारीख से कम से कम 7 दिन पहले इसे जरूर जमा करना चाहिए)

(डीआरटी के द्वारा दिवाला समाधान प्रक्रिया की अस्वीकृति या कर्ज अदायगी योजना की अस्वीकृति या कर्ज अदायगी योजना के असमय समाप्ति की अस्वीकृति की तारीख के तीन महीने के अंदर)

दिवाला तथा शोधन अक्षमता कोड, 2016

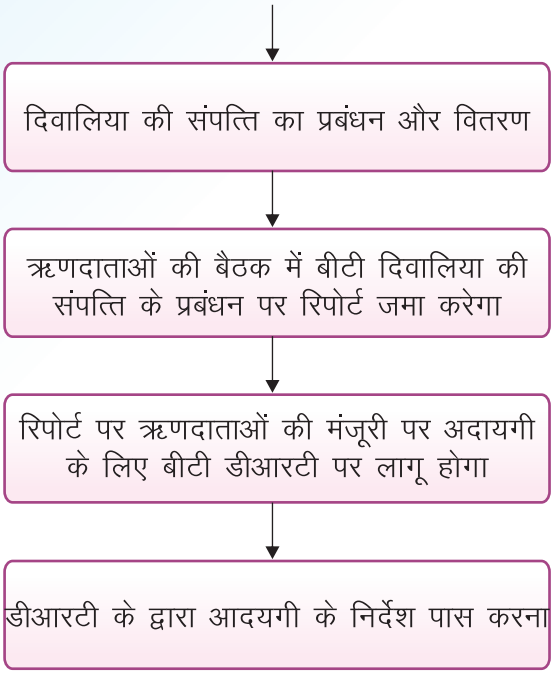

(ऋणदाताओं को रिपोर्ट मिलने के 7 दिनों के अंदर उसे मंजूर करना होगा)

(शोधन अक्षमता शुरु होने की तिथि से एक साल पूरा होने पर या दिवालिया की संपत्ति के प्रबंधन की मंजूरी के सात दिनों के अंदर अदायगी आदेश पारित होने चाहिए, जो भी पहले हो)

निष्कर्ष

कोड, भारत में कारोबार करना आसान बनाने की ओर एक बहुत बड़ा कदम है और इसमें कॉर्पोरेट व व्यक्तिगत दिवाला और शोधन अक्षमता से जुड़े पुरानी मसलों को सुलझाने की क्षमता है। यह समयसीमा के अंतर्गत इन मसलों का समाधान प्रदान करता है। यह न केवल प्राधिकरण और एनसीएलटी और डीआरटी के अधिकार क्षेत्र को व्यक्तियों और कंपनियों के बीच विभाजित करता है जिससे मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित किया जा सकता है बल्कि प्राथमिकताओं की सूची भी प्रदान करता है जिसे कंपनी की संपत्तियों के विघटन के समय ऐसे ऋणों के निपटान के लिए तरजीह दी जाएगी।

कोड स्वीकार करता है कि कारोबार और व्यक्ति अपने ऋण चुकाने में डगमगा सकते हैं और उन्हें नई शुरुआत करने की अनुमति देता है। असफल फर्मों को धीरे–धीरे चलने और दिवालिया हो चुके व्यक्तियों को अपने ऋण जाल से बाहर आने में मदद करता है, कोड फिर से उठने के लिए भी रास्ता बना सकता है।

आईसीएसआई दिवाला व्यावसायिक एजेंसी (आईसीएसआई आईपीए) और उसके पेशेवर सदस्यों के बारे में

आईसीएसआई दिवाला व्यावसायिक एजेंसी (आईसीएसआई आईपीए), कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत गठित एक अनुच्छेद 8 कंपनी है और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। आईसीएसआई आईपीए कोड के तत्वाधान में भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड के साथ दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के तौर पर पंजीकृत है।

आईसीएसआई आईपीए, दिवाला व्यावसायिक के तौर पर कार्य कर रहे उसके सदस्यों की भर्ती, उन्हें शिक्षित करने, प्रशिक्षित करने एवं कार्यप्रदर्शन की निगरानी के साथ–साथ लोगों को कोड व उसके लाभों के बारे में बताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

आईसीएसआई आईपीए, नवम्बर, 2016 में अपने गठन के बाद से आज तक 450 से ज्यादा पेशेवरों के पंजीकृत के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है।

हमारे कई सदस्य कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया/परिसमापन के तहत विभिन्न मामलों में दिवाला व्यावसायिकों/ ऋणशोधक के तौर पर कार्य करते हैं। हमारे पेशेवर सदस्य त्वरित प्रक्रिया के तहत मामलों के निपटान के साथ ही व्यक्तिगत और साझेदार फर्मों के दिवालियापन समाधान के मामलों के निपटान में भी सक्षम हैं।

हमारे पेशेवर सदस्यों के बारे में जानकारी के लिए हमारी वेबसाइटः ीजजचरूध्ध्पबेपपचंण्बवउध्च्तवमिेपवदंस.डमउइमते.क्पतमबजवतल देखें।

दिवाला तथा शोधन अक्षमता कोड, 2016

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

प्रश्न 1: दिवाला और अक्षमता कोड, 2016 बहुत बड़ा वैधानिक सुधार क्यों लगता है?

उत्तर: पहला, कोड दिवाला समाधान प्रक्रिया (इनसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान) के लिए एकल मंच प्रदान करता है। इससे पहले विभिन्न अलग–अलग कानून थे।

दूसरा, यह समयबद्ध है: यह दिवाला समाधान योजना के सूत्रीकरण और अनुमोदन के लिए 180 दिन की समय सीमा निर्धारित करता है, जिसमें सिर्फ एक बार 90 दिन का विस्तार होता है।

तीसरा, यह समाधान योजना के अंतिम रूप लेने तक कंपनी के मामलों का नियंत्रण बोर्ड/ प्रोत्साहकों के हाथों से समाधान पेशेवरों (रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स) को स्थानांतरित कर देता है।

अंतिम, कोड ऋण के समाधान के लिए प्रदान करता है जबकि कंपनी कार्य संचालन जारी रखती है।

प्रश्न 2: कोड किस पर लागू होता है?

उत्तर: कोड कंपनियों, सीमित दायित्व साझेदारों (एलएलपीज़), साझेदार फर्मों और व्यक्तियों पर लागू होता है। हालांकि, वर्तमान में, केवल कंपनियों और एलएलपीज़ से संबंधित प्रावधान अधिसूचित किये गए हैं।

प्रश्न 3: कोड के अंतर्गत लाभार्थी कौन है?

उत्तर: कोड के अंतर्गत लाभार्थियों में शामिल हैं:

देनदार (कॉर्पोरेट/व्यक्ति और अन्य कर्जदार)– एक देनदार समयबद्ध समाधान व्यवस्था के जरिए अपने ऋण संकट से निकल सकता है।

ऋणदाता– अपने ऋण या बकाया राशि के वापस मिलने की उम्मीद कर सकता है।

छोटी कंपनियां/स्टार्ट–अप्स/गैर–सूचीबद्ध कंपनियां– अपने कारोबार को फास्ट ट्रैक दिवाला समाधान प्रक्रिया के जरिए पुनर्जीवित कर सकते हैं।

छोटे कारोबारी/ किसान– ताजा शुरुआत प्रक्रिया के जरिए दिवालिएपन से बाहर आ सकते हैं।

प्रश्न 4: कोड के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के प्रारंभ के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

उत्तर: जहां कोड के तहत एक कंपनी या एलएलपी के खिलाफ आवेदन किया जाता है, उस प्रक्रिया को कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) कहते हैं जिसे इनके द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है:

1. वित्तीय ऋणदाता जैसे बैंक, वित्तीय संस्थाएं/ ऋण पत्र/ जमा धारक या व्यक्ति
2. परिचालन ऋणदाता जैसे वस्तु आपूर्तिकर्ता या सेवा प्रदाता या अन्य कामगार, या कर्मचारी आदि।
3. कॉर्पोरेट देनदार जैसे कि कंपनी या एलएलपी स्वयं बशर्ते कि कंपनी/ एलएलपी को 1,00,000 (एक लाख रुपये) या अधिक की राशि का भुगतान करने से चूकना होगा।

प्रश्न 5: अगर कोई आवेदन कोड के तहत एक कंपनी के खिलाफ दाखिल किया जाता है तो क्या इसका ये अर्थ है कि कंपनी दिवालिया है?

उत्तर: नहीं, इसका ये अर्थ नहीं है कि कंपनी दिवालिया हो गई है। यह संकेत देता है कि कंपनी को कारोबार और/ या वित्तीय पुनर्संरचना की जरूरत है।

प्रश्न 6: सीआईआरपी के प्रारंभ के लिए एक व्यक्ति को किस फोरम के समक्ष आवेदन करना चाहिए? साथ ही, क्या व्यक्तिगत और साझेदार फर्म के खिलाफ आवेदन करने के लिए फोरम वही है या अलग?

उत्तर: सीआईआरपी प्रारंभ करने के लिए उचित फोरम राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) है। एक व्यक्तिगत या साझेदार फर्म के खिलाफ आवेदन करने के लिए फोरम है, ऋण वूसली अधिकरण।

प्रश्न. 7 क्या एनसीएलटी एक कोर्ट है?

उत्तरः हां, एनसीएलटी के पास एक कोर्ट की शक्ति है।

प्रश्न.8 सीआईआरपी का संचालन कौन करता है और यह कैसे काम करता है ?

उत्तरः सीआईआरपी दिवाला व्यावसायिक (आईपी) के द्वारा संचालित किया जाता है, जिसे इस उद्देश्य के लिए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल (आरपी) के तौर पर नियुक्त किया जाता है। एक बार जब दिवाला समाधान के लिए किसी कंपनी के खिलाफ एनसीएलटी के पास अपील की जाती है, तो एनसीएलटी आरपी नियुक्त करता है। इसके साथ–साथ एनसीएलटी मुकदमों की संस्था या लंबित मुकदमों की संस्था या कॉर्पोरेट कर्जदार के खिलाफ कानूनी कार्यवाही को बनाए रखता है और कॉर्पोरेट कर्जदार को संपत्ति या वैधानिक अधिकार के स्थानांतरण या बिक्री से रोकता है। कंपनी के खिलाफ दिवाला समाधान के लिए आवेदन मिलने के तुरंत बाद कंपनी के निदेशक मंडल को निलंबित कर दिया जाता है और कंपनी मामलों का नियंत्रण आरपी के हाथों में सौंप दिया जाता है। इसके बाद आरपी दावों के विज्ञापन के लिए समाचार पत्रों और भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) की वेबसाइट के ऊपर सार्वजनिक घोषणा प्रकाशित कराता है और इसके बाद यह ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) का गठन करता है, जिसमें कंपनी के वित्तीय ऋणदाताओं के प्रतिनिधियों को इसका सदस्य बनाया जाता है। सीओसी कंपनी की पुनर्संरचना और पुनरुद्धार के लिए एक समाधान योजना बनाती है, जिसमें ऋण पुनर्संरचना भी शामिल होती है, जिसके लिए सीओसी की अनुमति की जरूरत होती है। यदि सीओसी समाधान योजना को स्वीकृति दे देती है, तो इसे एनसीएलटी की स्वीकृति के लिए इसके सामने पेश किया जाता है।

प्रश्न 9: क्या हर ऋणदाता के लिए जरूरी है कि वो अपना दावा प्रस्तुत करे? यदि हां, तो कितने समय के अंदर?

उत्तरः एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की नियुक्ति पर एनसलएलटी, आईआरपी को सार्वजनिक घोषणा करना आवश्यक होता है। एक ऋणदाता को सार्वजनिक घोषणा में दिए गए समय के अंदर प्रमाण प्रस्तुत करना जरूरी होता है। एक ऋणदाता, जो सार्वजनिक घोषणा में निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रमाण प्रस्तुत करने में असफल होता है, उस प्रमाण को ऋणदाताओं की समिति द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन तक प्रस्तुत कर सकता है।

प्रश्न 10: अगर एनसीएलटी को सीओसी से कोई समाधान योजना नहीं मिलती या अगर सीओसी द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना एनसीएलटी द्वारा स्वीकृत नहीं होती, तो क्या होता है?

उत्तरः उपरोक्त दोनों स्थितियों में, एनसीएलटी कंपनी के विघटन के लिए आदेश पारित करती है।

प्रश्न 11: क्या कोड भारत में कारोबार आसान होने के मामले में भारत की वैश्विक स्थिति सुधारने में मदद करेगा?

उत्तरः कोड के अंतर्गत समयबद्ध प्रक्रिया के साथ, कारोबार आसान होने में भारत की रैंकिंग वर्तमान के 130वें स्थान से सुधरकर 100वें स्थान पर पहुंच गई है।

नोट

नोट

नोट